प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 दिसम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी लक्ष्मण प्रसाद पुत्र श्री शिवनाथ, निवासी जनपद-चन्दौली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बंदी लक्ष्मण प्रसाद पुत्र श्री शिवनाथ, जो ग्राम-भरछा, थाना-अलीनगर, जनपद-चन्दौली का निवासी है। बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 18.06.2003 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर जलाकर श्रीमती सरोज लता की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-41/2005 में भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए व 4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, फस्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम, चन्दौली के आदेश दिनांक 19.12.2018 को 10 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.12.2023 तक अपरिहार 05 वर्ष, 07 माह, 23 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 05 माह, 05 दिन की सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नही किये जाने, पुनः अपराध कारित करने अशक्त नही होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लेख किया गया है कि बन्दी की 49 वर्ष, 09 माह, 22 दिन की आयु, बन्दी द्वारा 10 वर्ष के कारावास के सापेक्ष दिनांक 20.12.2023 तक अपरिहार 05 वर्ष, 07 माह, 23 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 05 माह, 05 दिन दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने पर समाज में प्रतिकूल सन्देश जाने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, चन्दौली द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी लक्ष्मण प्रसाद (बन्दी संख्या-138/2019) पुत्र श्री शिवनाथ, निवासी जनपद-चन्दौली की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1472/2025/1870(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, चन्दौली।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।